

# आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

## आवेदन पत्र ( विद्या संबल योजना )

सत्र .....

1. महाविद्यालय का नाम : राजकीय कन्या महाविद्यालय, कोलायत ( बीकानेर )
2. संकाय तथा विषय जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है : .....
3. अभ्यर्थी का नाम : ( अंग्रेजी में ).....  
( हिंदी में ).....
4. पिता का नाम : ( अंग्रेजी में ).....  
( हिंदी में ).....
5. माता का नाम : .....
6. लिंग : पुरुष/महिला/अन्य ..... 7. जन्म तिथि : .....
8. श्रेणी : ( सामान्य / अनु. जाति / अनु. जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / EWS / MBC ) .....
9. अभ्यर्थी का पूरा पता : .....  
.....  
.....
10. E-mail : .....
11. Mobile No. ....
12. अकादमिक योग्यता सम्बन्धी विवरण (स्वप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें )

क्र. सं.	उपाधि / परीक्षा	वर्ष	सम्बंधित विश्वविद्यालय	पूर्णांक	प्रासांक	श्रेणी व प्रतिशत
1	Secondary					
2	Graduation					
3	Post-Graduation					
4	M.Phil.					
5	Ph.D.					
6	NET with JRF					
7	NET					
8	SET/SLET					
9	Others					

13. आवेदित विषय में शिक्षण अनुभव ( संस्था द्वारा जारी शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें )

क्र.सं.	संस्था का नाम	दिनांक से	दिनांक तक
1			
2			
3			
4			
5			

14. शोध प्रकाशन (स्वप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें )

क्र.सं.	शोध जर्नल का नाम	वर्ष, माह तथा वॉल्यूम	ISSN / ISBN No.

15. पुरस्कार सम्बन्धी जानकारी (स्वप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें )

अंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय (अंतरराष्ट्रीय संगठनों/भारत सरकार/भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय स्तर के निकायों द्वारा दिए गए पुरस्कार )

क्र.सं.	पुरस्कार	संस्था का नाम	वर्ष

राज्य स्तरीय (राज्य सरकार द्वारा दिए गए पुरस्कार )

क्र.सं.	पुरस्कार	संस्था का नाम	वर्ष

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक का नाम .....

अभ्यर्थी द्वारा घोषणा

मैं श्री/श्रीमती/सुश्री/डॉ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .....

शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई सूचनाएं पूर्णतया सत्य है। यदि कोई भी तथ्य गलत पाया जाए तो मेरा आवेदन पत्र स्वतः निरस्त माना जाए।

दिनांक :

स्थान :

हस्ताक्षर (शपथ गृहीता)

## प्रारूप

### शपथ- पत्र

में श्री/श्रीमती/कुमारी.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..... ( संस्थान का नाम )..... में दिनांक..... को प्रति कालांश के आधार पर अधिकतम 24 सप्ताह अथवा 28 फरवरी, 2024 जो भी पहले हो तक के लिए (अधिकतम 14 साप्ताहिक घंटे के अनुसार) गैस्ट फैंकल्टी के रूप में अध्यापन कार्य हेतु आमंत्रित किया गया है।

1. यह है कि मैंने.....संस्थान द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक.....के क्रम में अपना आवेदन प्रस्तुत किया है तथा मैंने विज्ञापन में वर्णित शर्तों को पढ़ व समझ लिया है तथा उन शर्तों की पालना हेतु वचनबद्ध हूँ।
2. यह है कि मैंने राजस्थान सरकार के वित्त ( सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम ) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 6(2)वित्त/सा वि ले नि/2021 दिनांक 30.03.2021 एवं दिनांक 07.08.2023 को अच्छे से पढ़/समझ लिया है।
3. यह कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरी गयी समस्त सूचनाएं पूर्णतया सत्य हैं। तथा-कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।
4. यह कि मेरे द्वारा जमा किये गये समस्त शैक्षिक/प्रशिक्षण संबंधी मूल अभिलेख एवं अन्य दस्तावेज जो संस्थान द्वारा अपेक्षित हैं (यथा पहचान पत्र जो आवेदन पत्र में अंकित हो, न्यूनतम शैक्षिक पात्रता परीक्षा प्राप्त प्राप्तांक, निवास, जाति, विकलांगता, भूपू. सै. स्वयं से संबंधित प्रमाण पत्र ) पूर्णतया सही हैं।
5. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त मूल अभिलेख एवं अन्य सूचनाएं यदि जांच के दौरान कूटरघित/फर्जी अथवा गलत पायी जाती है तो मुझे गैस्ट फैंकल्टी से निर्मुक्त कर दिया जाएगा। जिला स्तरीय समिति के empellement से निर्मुक्त करते हुए मेरे विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही मुझे स्वीकार्य होगी जिसके लिए किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं करूंगा/करूंगी।
6. यह है कि मैं कार्य निष्पादन के दौरान निर्धारित उच्च मानदंडों के अनुसार अपनी सेवाएं प्रदान करूंगा /करूंगी तथा यदि मैं इसका उल्लंघन करता हूँ, करती हूँ तो संस्था एकतरफा कार्यवाही हेतु स्वतंत्र तथा अधिकृत होगी।
7. यह है कि मैंने यह अच्छे से समझ लिया है कि यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी तथा अधिकतम 24 सप्ताह अथवा दिनांक 28.02.2024 जो भी पहले हो तक के लिए है। मैं नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करूंगा/करूंगी।
8. इस व्यवस्था से नियमित नियुक्ति या अन्य किसी भी कारण से मुझे यदि गैस्ट फैंकल्टी के रूप में नहीं बुलाया जाता है तो मेरे द्वारा न्यायिक या प्रशासनिक स्तर पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।
9. मैं संस्थान द्वारा समय-समय पर जारी नियमों/निर्देशों की पूर्ण पालना करूंगा/करूंगी।
10. यह कि मुझे केन्द्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा समुचित प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय अथवा विभाग द्वारा पदच्युत नहीं किया गया है तथा नैतिक अधमता अथवा किसी अन्य अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं किया गया है और न ही कोई आपराधिक प्रकरण न्यायालय में लंबित है।
11. मैंने यह समझ लिया है कि निम्न कार्य कुशलता, दुराचरण, अनियमितता तथा कार्य से अनुपस्थिति की दशा में संस्थान या सक्षम अधिकारी को बिना कारण बताये मुझे गैस्ट फैंकल्टी के रूप में निर्मुक्त करने का अधिकार होगा।
12. मैं राजकीय अभिलेख तथा सूचनाओं की गोपनीयता बनाये रखूंगा तथा इसका उल्लंघन करने पर नियमानुसार दण्डीय कार्यवाही का उत्तरदायी होऊंगा।

शपथग्रहिता

### सत्यापन

मैं शपथपूर्वक बयान करता हूँ/करती हूँ कि उपर्युक्त वर्णित बिंदु संख्या 1 से 14 वर्णित तथ्य/सूचना मेरी जानकारी में सही तथा सत्य हैं, मैंने इनको भलिभांति पढ़ तथा समझ लिया है, मैंने कुछ भी असत्य व्यक्त नहीं किया है तथा न ही कुछ छिपाया है। यदि भविष्य में कोई सूचना/तथ्य असत्य या अपूर्ण सिद्ध होता है तो मैं स्वयं इसके उत्तरदायी रहूंगा।

शपथग्रहिता